भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2988
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधिकरणों का सुदृढ़ीकरण

2988 #श्री बाबू राम निषाद :

श्री बृज लाल :

श्री केसरीदेवसिंह झाला :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों की समय पर नियुक्ति और स्थिर कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या न्यायाधिकरणों की संस्थागत निगरानी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर में कार्यरत न्यायाधिकरणों की ढांचागत और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) भविष्य में न्यायाधिकरणों की कार्यात्मक और प्रशासनिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए रूपरेखा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, सोलह अधिकरणों को अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन रखा गया है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्य क्षेत्र में हैं । अधिकरणों के अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों और

सदस्यों की समय पर नियुक्ति और कार्यकाल का प्रशासन, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उस पर तैयार नियमों के अधीन कानूनी उपबंध के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया गया है ।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 1018 के मामले में, तारीख 19.11.2025 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त निर्णय के पैरा-142 के माध्यम से, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कतिपय उपबंधों को विखंडित कर दिया है और अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उस पर बनाए गए नियमों के अधीन अधिकरणों के कामकाज के संबंध में अपने निष्कर्ष दिए हैं ।

अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त वर्णित निर्णय के पैरा 153 में निदेश के अनुसरण की दृष्टि से और 'राष्ट्रीय अधिकरण आयोग' स्थापित करने के लिए, संसद् के दोनों सदनों ने इस सत्र में 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2026' पारित कर दिया है ।

(घ) से (ङ) : सरकार, विभिन्न अधिकरणों में रिक्तियों को भरने के अतिरिक्त उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं और मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है । अधिकरणों के कुशल कामकाज और मामलों के समय पर निपटान के लिए विधायी उपायों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के निर्माण सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं । इसमें डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना, ई-ऑफिस को अपनाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय कक्ष में सुनवाई, अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन मामला प्रबंधन प्रणाली और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रशासनिक दक्षता की निरंतर निगरानी सम्मिलित है । अधिकरण कानूनी/अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केंद्रीय अधिनियमों के उपबंधों के अधीन स्थापित किए गए हैं, उन्हें अपने संबंधित अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपील सुनने और उनका निपटान करने का काम सौंपा गया है ।
